सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा:.सं . NCST/ATY-1074/CG/3/2023-APCR दिनांक : 13.04.2023

सेवा में,

1 **डॉ रवि मित्तल**
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
कार्यालय कलेक्टर
जिला - जशपुर
जशपुर -496331 (छत्तीसगढ़)
Email:jashpur.cg@gov.in

2. **श्री डी. रविशंकर**
पुलिस अधीक्षक
जिला जशपुर
जशपुर -496331 (छत्तीसगढ़)
Email:sp-jashpur.cg@nic.in

विषय: पहाड़ी कोरवा दंपत्ति ने 2 मासूमों के साथ लगाई फांसी, 4 लाश, 4 रस्सीयां और कई सवाल, गांव मे मचा हड़कंप

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक प्रेस क्लिपिंग प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मामले की जांच/जांच करने का निर्णय लिया है। अत: एतद्द्वारा आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इस सूचना के प्राप्त होने के 03 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या अन्य माध्यम से आरोपों / मामलों पर की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट, तथ्य और जानकारी प्रस्तुत करे ।

2. रिपोर्ट में आरोपी की गिरफ्तारी के खिलाफ की गई कार्रवाई, आईपीसी और एससी /एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दाखिल करना, पीड़ित परिवार को मौद्रिक राहत और पुनर्वास पैकेज आदि के संबद्ध मे सूचना होनी चाहिए ।

3. कृपया ध्यान रखे कि यदि आयोग को निर्धारित समय के भीतर आपसे जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के तहत प्रदत्त सिविल कोर्ट की शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने केलिए समन जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन / Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी /Research Officer